न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)
(बइजलास पंकज गढ़वाल आर0ए0एस0)

वाद संख्या 205 सन् 2021 निर्णय दिनांक 3.8.2021

1. सांवरमल पुत्र लालचंद
2. गिरधारीलाल पुत्र लालचंद
3. कैलावंती पत्नी पूर्णाराम
4. राजेश कुमार पुत्र पूर्णाराम
5. राजेंन्द्र पुत्र पूर्णाराम
6. दर्शना पुत्री पूर्णाराम जाति ब्राहम्ण निवासीगण कांधरान तहसील राजगढ़ जिला चूरू

– वादीगण

बनाम

1. कविता पुत्री श्यामलाल
2. गीता देवी पत्नी सत्यनारायण
3. विमला पत्नी श्यामलाल
4. रेखा पुत्री श्यामलाल
5. रमेश कुमार पुत्र श्यामलाल
6. संतोष पुत्री श्यामलाल
7. सुनीता पुत्री श्यामलाल जाति ब्राहम्ण निवासीगण कांधराण तहसील राजगढ़ जिला चूरू
8. राजस्थान सररकार जरिये तहसीलदार साहब राजगढ़, तहसील राजगढ़ जिला चूरू

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–

1. श्री ज्ञानप्रकाश सैनी अधिवक्ता – वास्ते वादीगण
2. श्री विमल शर्मा अधिवक्ता – वास्ते प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7
3. नायब तहसीलदार राजगढ़ – वास्ते पैरोकार राज

वाद अंतर्गत धारा 88 आर0टी0 एक्ट।

–: निर्णय :–

इस न्यायालय में वादीगण द्वारा घोषणात्मक वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0 एक्ट कुर्सीनामा सहित निम्न आधार पर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि –

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)

कृषि भूमि गत ख0नं0 44, 47, 48, 46, 97 कुल तादादी 40 बीघा 5 बिस्वा वाके रोही कान्धराण तहसील राजगढ़ जिला चूरू में रही हैं जिसके खातेदार वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज दयालाराम रहे हैं जिस कृषि भूमि के हाल खाता सं. 42 ख0नं0 111 तादादी 1.81 हैक्टेयर, ख0नं0 46 तादादी 3.54 हैक्टेयर, ख0नं0 49 तादादी 0.06 हैक्टेयर, ख0नं0 50 तादादी 0.29 हैक्टेयर, ख0नं0 51 तादादी 4.48 हैक्टेयर कुल तादादी 10.18 हैक्टेयरं वाके रोही कान्धराण तहसील राजगढ़ जिला चूरू में स्थित हैं। यही विवादित कृषि भूमि हैं। वास्ते अवलोकन राजस्व रिकार्ड संलग्न वाद पेश हैं। दयालाराम की मृत्यु के बाद उक्त विवादित कृषि भूमि राजस्व कर्मचारीयों की मिलीभगत से अकेले सत्यनारायण पुत्र रतिराम के नाम दर्ज हो गई जबकि उक्त कृषि भूमि का आधा (1/2) हिस्सा वादीगण के कब्जा क़ाश्त की खातेदारी की रही हैं जिसमें वादीगण 1/2 हिस्सा के काबिज खातेदार काश्तकार हैं और वर्तमान में भी अपने हक हिस्सा पर काबिज होकर काश्त व उपयोग उपभोग करते आ रहें हैं। उक्त विवादित कृषि भूमियों में वादीगण सं. 1 ता 2 प्रत्येक 1/6 – 1/6 हिस्सा के तथा वादीगण सं. 3 ता 6 प्रत्येक 1/24 – 1/24 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हैं जो अपनें हक हिस्सा की कृषि भूमि पर काबिज हैं और उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। इसी अनुसार वादीगण अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि को अपने हक में घोषणा करवानें के अधिकारी हैं जिस हेतु यह वाद घोषणात्मक पेश किया जा रहा हैं। वादीगण नें प्रतिवादीगण को काफी कहा व कहलवाया कि वे उक्त विवादित कृषि भूमि में वादीगण सं. 1 ता 2 प्रत्येक 1/6 – 1/6 हिस्सा व वादीगण सं. 3 ता 6 प्रत्येक का 1/24 – 1/24 हिस्सा घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा देवे लेकिन प्रतिवादीगण नें व मुंकाम कान्धराण में दिनांक 28.06.2021 को ऐसा करनें व करानें से साफ इंकार कर दिया लिहाजा यही तारींख वाद कारण व वादाधार हैं। भूमि की सर्वोतम मालिक राज्य सरकार होनें के कारण राज्य सरकार के प्रतिनिधी तहसीलदार साहेब को पक्षकार वाद प्रतिवादी बनाया गया है। विवादित कृषि भूमि अदालत हाजा के अधिक्षेत्र मे होने से उक्त वाद का हर प्रकार से श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार अदालत हाजा को प्राप्त है। वाद निर्धारित न्यायालय शुल्क पर अंदर मियाद पेश है। आदि आदि।

अंत में निवेदन किया कि विवादित कृषि भूमि हाल खाता सं. 42 ख0नं0 111 तादादी 1.81 हैक्टेयर, ख0नं0 46 तादादी 3.54 हैक्टेयर, ख0नं0 49 तादादी 0.06 हैक्टेयर, ख0नं0 50 तादादी 0.29 हैक्टेयर, ख0नं0 51 तादादी 4.48

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)

हैक्टेयर कुल तादादी 10.18 हैक्टेयर वाके रोही कान्धराण तहसील राजगढ़ जिला चूरू में वादीगण सं. 1 ता 2 प्रत्येक को 1/6 – 1/6 हिस्सा के तथा वादीगण सं. 3 ता 6 प्रत्येक को 1/24 – 1/24 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामंद फरमाया जावे।

वाद प्रस्तुत होनें पर वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सशुल्क तलब किया गया। बाद तामील प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 नें जरिए अधिवक्ता पेश होकर इकबाल दावा प्रस्तुत कर वाद वादीगण डिक्री किये जाने में कोई आपति नही दर्शाई, पैरोकार राज नें राजहित प्रभावित नही होना जाहिर किया।.

बादीगण द्वारा अपनें वाद के समर्थन में दस्तावेजात पेश किए जिनका अवलोकन किया गया।

वादीगण नें अपनें वाद के समर्थन में दस्तावेज पेश किए है तथा प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 की ओर से इकबाल दावा पेश कर वाद वादी के हक में स्वीकार किये जाने बाबत कोई आपति दर्ज नही की गई है। पैरोकार राज द्वारा राजहित प्रभावित नही होना जाहिर किया गया है।

चूंकि प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 द्वारा वाद का कोई प्रतिरोध नही कर जरिये इकबालदावा वाद को वादीगण के हक में स्वीकार किया गया है। पैरोकार राज द्वारा वाद में राजहित निहित नही होना जाहिर किया है। इसलिए वाद वादीगण के हक में डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अतः आदेश है कि विवादित कृषि भूमि हाल खाता सं. 42 ख0नं0 111 तादादी 1.81 हैक्टेयर, ख0नं0 46 तादादी 3.54 हैक्टेयर, ख0नं0 49 तादादी 0.06 हैक्टेयर, ख0नं0 50 तादादी 0.29 हैक्टेयर, ख0नं0 51 तादादी 4.48 हैक्टेयर कुल तादादी 10.18 हैक्टेयर वाके रोही कान्धराण तहसील राजगढ़ जिला चूरू में वादीगण सं. 1 ता 2 प्रत्येक को 1/6 – 1/6 हिस्सा के तथा वादीगण सं. 3 ता 6 प्रत्येक को 1/24 – 1/24 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। उपरोक्तानुसार डिक्री जारी हो।

खर्चा उभय पक्षकारान अपना अपना स्वंय वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 3.8.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)

(बइजलास पंकज गढ़वाल आर0ए0एस0)

वाद संख्या 205 सन् 2021 निर्णय दिनांक ....

1. सांवरमल पुत्र लालचंद
2. गिरधारीलाल पुत्र लालचंद
3. कैलावती पत्नी पूर्णाराम
4. राजेश कुमार पुत्र पूर्णाराम
5. राजेंन्द्र पुत्र पूर्णाराम
6. दर्शना पुत्री पूर्णाराम जाति ब्राहम्ण निवासीगण कांधरान तहसील राजगढ़ जिला चूरू

— वादीगण

बनाम

1. कविता पुत्री श्यामलाल
2. गीता देवी पत्नी सत्यनारायण
3. विमला पत्नी श्यामलाल
4. रेखा पुत्री श्यामलाल
5. रमेश कुमार पुत्र श्यामलाल
6. संतोष पुत्री श्यामलाल
7. सुनीता पुत्री श्यामलाल जाति ब्राहम्ण निवासीगण कांधराण तहसील राजगढ़ जिला चूरू
8. राजस्थान सररकार जरिये तहसीलदार साहब राजगढ़, तहसील राजगढ़ जिला चूरू

— प्रतिवादीगण

उपस्थिति :—

1. श्री ज्ञानप्रकाश सैनी अधिवक्ता — वास्ते वादीगण
2. श्री विमल शर्मा अधिवक्ता — वास्ते प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7
3. नायब तहसीलदार राजगढ़ — वास्ते पैरोकार राज

वाद अंतर्गत धारा 88 आर0टी0 एक्ट।

पर्चा डिकी

दावा वादी बाबत इस्तकरार हक इस कदर डिकी किया जाता है कि विवादित कृषि कृषि भूमि हाल खाता सं. 42 ख0नं0 111 तादादी 1.81 हैक्टेयर, ख0नं0 46 तादादी 3.54 हैक्टेयर, ख0नं0 49 तादादी 0.06 हैक्टेयर, ख0नं0 50 तादादी 0.29 हैक्टेयर, ख0नं0 51 तादादी 4.48 हैक्टेयर कुल तादादी 10.18 हैक्टेयर वाके रोही कान्धराण तहसील राजगढ़ जिला चूरू में वादीगण सं. 1 ता 2 प्रत्येक को 1/6 — 1/6 हिस्सा के तथा वादीगण सं. 3 ता 6 प्रत्येक को 1/24 — 1/24 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। खर्चा उभय पक्षकारान अपना अपना स्वंय वहन करे।

वाप्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 3.8.2021 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)